न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 145/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.कालाराम पुत्र वनाराम
जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार धनाऊ 2.कुलदीपसिह 3.महेन्द्र पि.श्रीराम
4.झीमोदवी पत्नि श्रीराम 5.रमेशकुमार पुत्र नारणाराम
जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री जगदीश पोटलिया**
विप्रार्थीगण :– **श्री शाकर खान एच.**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 07.12.2023

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बुरहान का तला, तहसील धनाऊ में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1279/962 रकबा 01.6592 हैक्टयेर, खसरा सं. 962/425 रकबा 06.2160 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम किस्तुराराम उर्फ केसाराम पुत्र [illegible] है। प्रार्थी का सही नाम कालाराम पुत्र वनाराम है। राजस्व कर्मचा[illegible] में किस्तुराराम उर्फ केसाराम पुत्र वनाराम दर्ज कर दिया है। ज[illegible] उसका [illegible] नाम कालाराम पुत्र वनाराम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज अपना गलत नाम किस्तुराराम उर्फ केसाराम पुत्र वनाराम के स्थान पर कालाराम पुत्र वनाराम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया, विप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान एच. ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील ने नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर विप्रार्थी सं. 2 से 5 के वकील की ओर से कोई आपति नहीं है। अतः तहसीलदार धनाऊ से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार धनाऊ से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं ने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपस्थित अधिवक्ताओं ने जांच रिपोर्ट स्वीकार की । उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिसमें उपस्थित अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम दुरस्त किया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा बुरहान का तला, तहसील धनाऊ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1279/962 रकबा 01.6592 हैक्टयेर, खसरा सं. 962/425 रकबा 06.2160 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम किस्तुराराम उर्फ केसाराम पुत्र वनाराम के स्थान पर कालाराम पुत्र वनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करते हुए अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया ।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested